झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०–8 / गठन / 111 / 2016 / न०वि०आ० 3381 (अनु०) **राँची, दिनांक– 02/07/18**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–2007, 2012) (यथा संशोधित) की धारा–3 की उपधारा–(1), (2) धारा–4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गढ़वा जिला अन्तर्गत रंका अनुमण्डल स्थित 12 राजस्व ग्राम यथा–रंका कला, खपरो, मानपुर, लिदीकण्डा, भलुआनी, कंचनपुर, दवनादाग, सोनपरवा, सलेया, रंका खूर्द, बोइला एवं पाल्हे की कुल जनसंख्या–21969 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (रंका नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी **''प्रारूप आदेश''** निर्गत करना चाहते है।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के **''झारखण्ड गजट''** में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर रंका नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव / प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, गढ़वा के कार्यालय में समर्पित कर सकते है।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, गढ़वा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन उपायुक्त, गढ़वा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा–3 की उपधारा–(1), (2) धारा–4, 5, 6, 8 तथा धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गढ़वा जिला रंका अनुमण्डल स्थित 12 राजस्व ग्राम यथा–रंका कला, खपरो, मानपुर, लिदीकण्डा, भलुआनी, कंचनपुर, दवनादाग, सोनपरवा, सलेया, रंका खूर्द, बोइला एवं पाल्हे (जनसंख्या सहित अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (रंका नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

2/7/18

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 111 / 2016 / न०वि०आ० 3381 (अनु०) **राँची, दिनांक– 02/07/18**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नगर पंचायत क्षेत्र के गठन की आशयित अधिसूचना कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें से एक समाचार पत्र संबंधित क्षेत्र की जनभाषा में हो, जो वहाँ के निवासियों के लिए बोधगम्य हो।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2/7/18

सरकार के सचिव।

Manju/E/Sec-8/Adsuchna-132

ज्ञापांक–8/गठन/111/2016/न०वि०आ० 3381 (अ०प०) **राँची, दिनांक–** 02/07/18

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/111/2016/न०वि०आ० 3381 (अ०प०) **राँची, दिनांक–** 02/07/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल/उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक–I

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

रंका नगर पंचायत का गठन

3381
02/07/18

उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक–1074, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–427 दिनांक–08.06.2016 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गढ़वा जिलान्तर्गत रंका नगर पंचायत में सम्मिलित होनेवाले 12 राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:–

निकाय का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
रंका नगर पंचायत	रंका कला	83	6612	611.40
	खपरो	87	3527	
	मानपुर	88	4564	
	लिदीकण्डा	86	449	
	भलुआनी	90	903	
	कंचनपुर	76	2106	
	दवनादाग	82	708	
	सोनपरवा	89	1603	
	सलेया	81	470	
	रंका खूर्द	75	537	
	बोइला	85	01	
	पाल्हे	84	489	
		कुल–	21969	

रंका नगर पंचायत एक झलक में :–

1.	रंका नगर पंचायत की जनसंख्या	21969
2.	जनसंख्या का घनत्व	611.40 प्रति वर्ग कि.मी.।
3.	रंका नगर पंचायत का क्षेत्रफल	35.9317 वर्ग कि.मी.।

2/7/18
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

Manju/E/Sec-8/Adisuchna a¶/Adisuchna prapatra-35